

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र 73/2016/श्रीगंगानगर

मैसर्स एन.एम.एक्सपोर्ट्स  
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम  
वाणिज्यिक कर अधिकारी  
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री सुरेश ओझा  
अभिभाषक  
श्री अनिल पोखरणा  
उप राजकीय अभिभाषक  
निर्णय दिनांक 11.01.2017

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय


यह विविध प्रार्थना पत्र अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 864/2011/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2014 के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि 2006-07 में दिनांक 7.2.2007 से पूर्व वैट चुकाकर ग्वार, ग्वार गम एवं ग्वार स्प्लिट की खरीद की गई थी। राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63) एफडी/टैक्स/2005-126 दिनांक 8.2.2007 द्वारा ग्वार को कर मुक्त घोषित कर दिया। इसके पश्चात एक अन्य अधिसूचना क्रमांक एफ.12(15) एफडी/टैक्स/2008-84 दिनांक 25.2.2008 जारी कर दिनांक 1.4.2006 से 31.3.2007 के मध्य अनुसूची III, I, V and VI में किये गये संशोधन को दिनांक 1.4.2006 से प्रभावी माना तथा साथ ही राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) में संशोधन कर इसमें नई धारा 97 ए जोड़ी गई, जिसके अन्तर्गत इनपुट टैक्स रिवर्स करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद राज्य सरकार ने दिनांक 29.8.2008 को एक और अधिसूचना जारी कर ग्वार, ग्वार गम, स्प्लिट को अधिसूचना दिनांक 8.2.2007 एवं 25.2.2008 को जारी अधिसूचना से बाहर कर दिया अर्थात् ग्वार को दिनांक 7.2.2007 से ही कर मुक्त माना गया है। इस प्रकार ग्वार को कर मुक्त किये जाने की अधिसूचना दिनांक 26.8.2008 भूतलक्षी प्रभाव रखती है तथा अधिनियम की धारा 97 ए पूर्णतया लागू होती है। वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त ए, श्रीगंगानगर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उक्त आधार मानकर अपीलार्थी व्यवहारी के पास दिनांक 8.2.2007 को शेष रहे माल ग्वार के प्रारम्भिक स्टॉक पर आई टी सी नहीं दिया एवं जिसे रिवर्स किये जाने योग्य माना तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर ग्वार के दिनांक 8.2.2007 के प्रारम्भिक स्टॉक

पर धारा 2 (33) के अनुसार आई टी सी रिवर्स नही किये जाने के कारण दिनांक 8.2.2007 के स्टॉक रु. 3,21,00,995/- पर 4 प्रतिशत की दर से रु. 12,84,040/- का रिवर्स कर आरोपित कर दिया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चतुर्थ तिमाही विवरण पत्र वैट-10 संशोधित कर दिनांक 16.10.2007 को पेश की, इसमें वैट इनवायस संख्या 59 दिनांक 2.3.2007 से क्रीत माल सरसों पर रु. 5,29,774/- का आई टी सी कर निर्धारण अधिकारी ने देरी से पेश करने के कारण अस्वीकृत किया, जिसे अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत आई टी सी को यथावत रखते हुए ग्वार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आरोपित कर रु. 12,48,040/- को अपास्त किया है तथा प्रस्तुत प्रकरण लेखा परीक्षण की गणना से सम्बन्धित होने के कारण उक्त बिन्दु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित निर्देशित किया कि अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी.) वाणिज्यिक कर, जयपुर के **Determination** दिनांक 22.2.2010 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनः विस्तृत जांच कर नियमानुसार कर निर्धारण कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के विरुद्ध यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा प्रकरण को सारहीन मानते हुये अपीलार्थी की अपील खारिज की है। उक्त अपील आदेश दिनांक 25.08.2014 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर में एस.बी.सिविल (वैट) रिवीजन पिटीशन संख्या 248/2014 पेश की गयी। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट पिटीशन का निर्णय दिनांक 14.01.2016 को करते हुये प्रकरण कर बोर्ड को प्रतिप्रेषित कर निम्न निर्देश दिये :-

"In view of the aforesaid submissions, the learned counsel, Mr. Niraj Kumar Jain, therefore, submitted that he may be permitted to withdraw the present revision petition with a liberty to file a proper review petition before the learned Rajasthan Tax Board, Ajmer itself seeking review of the impugned order dated 25-08-2014 in view of the aforesaid two judgment of the learned Tax Board, which the learned Member was bound to follow."

विविध प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा मैसर्स आसुराम लाल चन्द, बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बीकानेर अपील संख्या 697/2011/बीकानेर (2013)2 टी यू डी-सी डी 12(आरटीबी) में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2012 एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी, जयपुर बनाम मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयज मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर अपील संख्या 1012/2011/जयपुर(2012) 33 टी यू डी 158 (आर टी बी) में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2012 को उद्धृत करते हुए कथन किया कि "उक्त न्यायिक दृष्टान्त में इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के



वेट-07 तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्रों के साथ पेश नहीं किया जाकर केवल ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने एवं वेट अधिनियम की धारा 18(2) के तहत निर्धारित समयावधि में ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम स्वीकार योग्य होने के आधार पर व्यवहारी का ऑडिट रिपोर्ट में दर्शित आगत कर ₹ 5,47,384/- का समायोजन अस्वीकार किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 18(2) में प्रावधित मूल इन्वॉयस की तिथि से तीन माह के अन्दर इनपुट टैक्स क्लेम करने का अभिप्राय वेट अधिनियम में स्पष्ट नहीं है, परन्तु वेट नियम 18(6) के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ व्यवहारी की लेखा-पुस्तकों एवं अभिलेख के आधार पर उपलब्ध होगा। ऐसी स्थिति में किसी व्यवहारी द्वारा इन्वॉयस की तिथि से तीन माह के अन्दर अपने खातों में जमाखर्च कर लिये जाने पर उस इन्वॉयस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देय होगा। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वेट-07 तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्रों के साथ पेश नहीं कर ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करने के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अस्वीकार करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को रेकार्ड की जांच के पश्चात उक्त राशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्रदान करने की कार्रवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।" उनका कथन किया है कि उक्त न्यायिक दृष्टान्तों से मैं आई0टी0सी0 का बिन्दु आच्छादित होने से माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण कर बोर्ड, को प्रतिप्रेषित किया है। अतः प्रार्थी का विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसके द्वारा कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई अपील संख्या 864/2011/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2014 को सारहीन होने से अपील अस्वीकार की गई थी है जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों द्वारा स्वीकार की जाए।

विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्कों का खण्डन करते हुए अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.01.2016 का ससम्मान अध्ययन किया है। अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई अपील संख्या 864/2011/श्रीगंगानगर का निस्तारण दिनांक 25.08.2014 को करते हुए अपील को सारहीन मानकर अस्वीकार किया गया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस. बी. सिविल (वेट)रिविजन पीटीशन नंबर 248/2014 का निस्तारण 14.01.2016 को करते हुए प्रकरण कर बोर्ड को प्रतिप्रेषित किया है जिसका पैरा संख्या 2 और 3 उद्धरित किया जाना समीचीन है:-




"2.The learned counsel, Mr. Niraj Kumar Jain appearing for the petitioner-Assessee submits that while passing the impugned order dated 25.08.2014, the learned Single Member (Shri Sunil Sharma) of the Rajasthan Tax Board, Ajmer has wrongly dismissed the appeal of the Assessee holding it to be infructuous whereas, the appeal on merits of issue of Input Tax Credit was covered by the two judgments of the Tax Board itself which were duly cited by the Assessee before the learned Tax Board and one of the judgment was by the same Member (Shri Sunil Sharma) rendered in the case of M/s Asuram Lal Chand, Bikaner Vs. ACTO, Bikaner, Appeal No.697/2011/Bikaner, decided on 21.12.2012 {[2003]2 TUD-CD 12 (RTB)} and anothe Division Bench Judgment of the Tax Board in which, Shri Sunil Sharma was also one of the Members in the case of CTO, Jaipur Vs. M/s Godrej & Boys Manufacturing Company Ltd., Jaipur, Appeal No.1012/2011/Jaipur, decided on 10.05.2012 {[2012]} 33 TUD 159 (RTB)}"

"3.In view of the aforesaid submissions, the learned counsel, Mr. Niraj Kumar Jain, therefore, submitted that the may be permitted to withdraw the present revision petition with a liberty to file a proper review petition before the learned Rajasthan Tax Board, Ajmer itself seeking review of the impugned order dated 25.08.2014 in view of the aforesaid two judgments of the learned Tax Board, which the learned Member was bound to follow."

माननीय उच्च न्यायालय से उक्त निर्देशानुसार कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए क्रीत सरसों पर क्लेम की गई देय आईटीसी0 स्वीकृत करने की कार्यवाही करें।

फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य